



क्रमांक : 1549 / अका. / 2016

रायपुर, दिनांक : 23 / 06 / 2016

## ॥ अधिसूचना ॥

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 04.06.2016 में लिये गए निर्णय क्रमांक 6 में भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 10 मई 2016 में प्रकाशित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के रेगुलेशन 2016 के अनुसार शैक्षणिक पदों पर संविदा नियुक्ति के लिये संशोधित/पुनरीक्षित विनियम 122 का अनुमोदन कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 06.06.2016 में किया गया है, अधिसूचित किया जाता है, जो निम्नांकित है :-

### विनियम क्रमांक-122

(E.C. 06-06-2016)

### शैक्षणिक पदों पर संविदा नियुक्ति विनियम 2016

विश्वविद्यालय की राय में यह आवश्यक हो गया है कि-

1. विश्वविद्यालय के शिक्षकीय प्रवर्ग में, कतिपय रिक्तियां अल्प समय के लिये भरी जाएं।
2. अतः विश्वविद्यालय के शिक्षकीय संवर्ग को संविदा के आधार पर विनिर्दिष्ट कालवधि के लिये नियुक्त किया जाए।
3. अतएव भारत के छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा- 40 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए कार्यपरिषद् एतद् द्वारा विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ के अधीन सेवा के शिक्षकीय प्रवर्ग को संविदा आधार पर भर्ती से संबंधित विनियम बनाते हैं।

नियम

#### 1. संक्षिप्त नाम, प्रयुक्ति तथा नाम

- (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय संविदा नियुक्ति शैक्षणिक विनियम 2016
- (2) तत्समय प्रवृत्त किन्हीं अन्य नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी, ये विनियम संविदा सेवा पर लिए गए शिक्षकों को लागू होंगे।
- (3) यह विनियम कार्यपरिषद् में पारित होने की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

#### 2. परिभाषाएँ

इन नियमों में जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो

- (क) समस्त पदों के संबंध में "नियुक्ति प्राधिकारी" विश्वविद्यालय का कुलपति होगा।
- (ख) विश्वविद्यालय से अभिप्रेत है "पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर"।

#### 3. सूक्ष्म जांच/चयन समिति

सूक्ष्म जांच/चयन समिति निम्नानुसार होगी-

- (क) संकायाध्यक्ष
- (ख) संबंधित विषय के विभागाध्यक्ष

अध्यक्ष  
सदस्य

- (ग) कुलपति जी द्वारा मनोनित संबंधित विषय का वरिष्ठ शिक्षक अथवा जहां नियमित शिक्षक उपलब्ध न हो किसी अन्य विषय का शिक्षक सदस्य
- (घ) सूक्ष्म जांच/चयन समिति में अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधि नहीं होने की स्थिति में इस वर्ग में से एक सदस्य कुलपति जी द्वारा मनोनित सदस्य
- (ड.) उपरोक्त समिति में चार सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है अन्यथा की स्थिति में एक विषय विशेषज्ञ कुलपति द्वारा मनोनित किए जायेंगे। सदस्य

#### 4. पारिश्रमिक

संविदा पर कार्यरत व्यक्ति को प्रतिमाह पारिश्रमिक राज्यशासन के नियमानुसार देय होगा।

#### 5. नियुक्ति का तरीका

- (1) समस्त नियुक्तियों, नियुक्त प्राधिकारी द्वारा, सूक्ष्म जांच समिति द्वारा तैयार किए गए मेरिट आधार पर की जायेगी।
- (2) समिति शिक्षकों, के लिए अभ्यर्थी को दिए गए मेरिट अंकों के आधार पर गुणानुक्रम में एक मेरिट सूची बनायेगी।
- (3) मेरिट लिस्ट बनाने के लिये अधिकतम 100 मेरिट अंक रहेंगे और इसका मापदण्ड निम्नानुसार होगा—
- |                                     |    |   |     |
|-------------------------------------|----|---|-----|
| (i) 12 <sup>th</sup>                | 10 | (ix) Projects   | 5   |
| (ii) Under Graduate                 | 10 | (x) M.Phil/ Ph.D. Supervised  | 5   |
| (iii) Post Graduate                 | 10 | (xi) Conf./Seminar/Symp./Workshop /attended in India                      | 5   |
| (iv) NET/SLET                       | 10 | (xii) Conf./Seminar/Symp./Workshop attended abroad/ Foreign visits as PDF | 5   |
| (v) M.Phil                          | 5  | (xiii) Research Papers/Books  | 10  |
| (vi) Ph.D.                          | 10 | (xiv) Quality of publication  | 5   |
| (vii) Any Recognised award          | 5  | (xv) Sub-Total  | 100 |
| (viii) Teaching/Research Experience | 5  |   |     |

टीप— उपरोक्त 100 अंकों में से प्राप्त अंकों का मेरिट की गणना हेतु निर्धारण निम्नानुसार किया जावेगा—

- |   |     |
|---|-----|
| (a) Academic Record & Research Performance            | 50  |
| (b) Assessment of Domain Knowledge & Teaching Skill ☆ | 30  |
| (c) Interview Performance                             | 20  |
| Total-  | 100 |

☆ सामान्यतः संबंधित विषय पर Presentation के द्वारा एवं आवश्यकता होने पर परीक्षा का आयोजन किया जावेगा।

- (4) (क) संविदा नियुक्ति के लिए विश्वविद्यालय समाचार पत्रों में विज्ञप्ति जारी की जायेगी।  
(अ) विश्वविद्यालय के सूचना पटल पर

- (ब) संबंधित विषय के विभागीय सूचना पटल पर प्रतियां प्रदर्शित कर, आवेदन आमंत्रित किया जाएगा।
- (ख) प्राप्त समस्त आवेदन पत्र की प्रविष्टियां एक पृथक रजिस्टर में की जावेगी। रजिस्टर के अंतिम प्रविष्टी के नीचे कुलसचिव या उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति हस्ताक्षर कर प्रमाणित करेंगे कि उस विषय में कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए।

#### 6. समयावधि

संविदा आधार पर लिए गए सेवा की समयावधि सामान्यतः एक अकादमिक सत्र के लिए होगी। मूल संविदा नियुक्ति की अवधि की समाप्ति पर संविदा नियुक्ति स्वमेव समाप्त मानी जावेगी। आवश्यकता के आधार पर एवं संविदा नियुक्त व्यक्ति की उपयुक्तता का आंकलन कर, पुनः संविदा नियुक्ति दी जा सकेगी। नियमित नियुक्तियों के तहत यदि संविदा पद पर कार्यरत व्यक्ति के पद पर नियुक्ति की जाती है तो संविदा नियुक्ति स्वमेव समाप्त हो जावेगी।

#### 7. शैक्षणिक अर्हता

अभ्यर्थी की शैक्षणिक योग्यताएं निम्न में से कम न हो

- अ. स्नातक स्तर पर कम से कम 50% अंक
- ब. संबंधित विषय में स्नातकोत्तर स्तर पर कम से कम 55% अंक

#### 8. अन्य शर्तें

- (क) इन विनियमों के अधीन कोई भी नियुक्ति, संबंधित प्रवर्ग या उससे उच्च प्रवर्ग में रिक्त पद के विरुद्ध ही की जायेगी।
- (ख) इन विनियमों के अधीन शिक्षकीय पदों पर नियुक्तियां, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों तथा विकलांग व्यक्तियों के आरक्षण के लिये तत्समय प्रवृत्त किसी विधि या नियमों द्वारा भाषित होगी। इस प्रयोजन के लिए रोस्टर विश्वविद्यालय स्तर पर रखा जायेगा।
- (ग) महिला अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिये विशेष उपबंध) नियम 1997 के उपबंधों के अनुसार किया जायेगा।
- (घ) इन विनियमों के अधीन नियुक्त किया गया कोई भी व्यक्ति परिनियम 31 सहपठित छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 द्वारा शासित होगा।
- (ङ) इन विनियमों के अधीन सेवाओं का पर्यावसान, पदावधि के अवसान के पूर्व किसी भी ओर से एक माह की सूचना या उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर किसी भी समय किया जा सकेगा।
- (च) इन विनियमों के अधीन किसी भी पद पर नियुक्ति किसी व्यक्ति को महंगाई भत्ता, गृहभत्ता या अन्य कोई भत्ता देय नहीं होगा।
- (छ) इन विनियमों के अधीन नियुक्त किया गया कोई भी व्यक्ति विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को लागू नियमों के अनुसार यात्रा भत्ता का अधिकार होगा।
- (ज) इन विनियमों के अधीन नियुक्त किया गया कोई भी व्यक्ति एक वर्ष में अनुपातिक आकस्मिक अवकाश तथा ऐच्छिक छुट्टियों का हकदार होगा, किन्तु किसी भी प्रकार के अन्य अवकाश या दीर्घावकाश का हकदार नहीं होगा।
- (झ) इन विनियमों के अधीन नियुक्त किये गये किसी भी व्यक्ति का शासकीय अथवा अन्य सेवा हेतु आवेदन पत्र को अग्रेषित नहीं किया जायेगा, आवेदक को सीधे आवेदन पत्र देने की छूट होगी।
- (ट) इन नियमों के अधीन नियुक्त किये गये किसी भी व्यक्ति की अनुपस्थिति की स्थिति में अनुपातिक पारिश्रमिक की कटौती की जावेगी।

- (ठ) इन विनियमों के अधीन नियुक्त व्यक्ति को कुलपति तथा विभागाध्यक्ष के द्वारा निर्देशानुसार, कार्य पूर्ण करने होंगे।  
(ड) सेवा की कोई अन्य शर्तें ऐसी होंगी, जैसा कि नियुक्ति के आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाये।
9. आवेदनकर्ता द्वारा निर्धारित प्रारूप में संविदा निष्पादन के पश्चात् कार्य प्रारंभ किया जावेगा।

आदेशानुसार,


  
कुलसचिव

पृ. क्रमांक: 1550 / अका. / 2016

रायपुर, दिनांक: 23/06/2016

प्रतिलिपि :

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा, ब्लॉक-सी-30, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर।
2. अध्यक्ष, समस्त अध्ययनशाला,
3. प्राचार्य, समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय,
4. संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद्/जनसंपर्क अधिकारी/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,
5. वित्त नियंत्रक/प्रभारी, अंकेक्षण,
6. समस्त विभागीय अधिकारी,
7. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

  
उप कुलसचिव (अका.)

**Subject:**

**Precis of the Candidates for the Post of Assistant Professor**

S.No.	Name	12th	UG	PG	NET/SLET	M.Phil.	Ph. D.	Any award	Teaching/ Research Experience	Projects	M.Phil./Ph.D. Supervised	Conf. / Seminar/ Symp./ Workshop attended in India	Conf./ Seminar/ Symp./ Workshop attended abroad/ Foreign visits as PDF	Research Papers/ Books	Quality of publication	Sub-total	Academic Record & Research Performance [a]	Assessment of Domain Knowledge & Teaching Skills [b]	Interview Performance [c]	Total	Remarks
		10	10	10	10	5	10	5	5	5	5	5	5	10	5	100	50	30	20	100	
1																					
2																					
3																					
4																					
5																					

For 12th/UG/PG: 10% = 1 mark; Any Recognised Award given by Govt. agencies/ National academies/ Societies: 1 award = 2 marks, maximum 5 marks; Teaching/ Research Experience: 0.5 per year, maximum = 5, however years spent while doing M.Phil./Ph.D. will not be considered; Project: 1 major project = 2 marks, 1 minor project = 1 mark, maximum 5 marks; PhD Supervised: 2 each, M.Phil. supervised 1 each, Maximum = 5; Conf./Symp./ Workshop attended in India: 0.5 each, Maximum = 5; Conf./Symp./ Workshop attended abroad: 1 each; Foreign Academic Visits: 2 mark each, maximum = 5; Research paper/ Book: 0.5 per publication, Maximum = 10; Quality of publication: 1 mark for each paper published in journals approved by the University, maximum = 5.

Vice-Chancellor  
Chairman

Expert-1

Expert-2

Expert-3

Dean

HoD

Chancellor's Nominee

Academician (SC/ST/OBC Representativ)

Checked by Dean/HoD/ Precis Committee